[रजिस्ट्री सं० डी०] एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1345] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 19, 2012/आषाढ़ 28, 1934
No. 1345] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 19, 2012/ASADHA 28, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2012

का.आ. 1638(अ).— यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2011 की सं. का.आ. 1745(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपतियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे; और

2. यतः प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्राप्त आपतियों /सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधनः

जोन के-II (द्वारका के निर्मित क्षेत्र में निम्नलिखित 2.26 हेक्टेयर क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'परिवहन उपयोग' से 'आवासीय उपयोग' (समीपवर्ती स्तर की पीएसपी सुविधाएं) में परिवर्तित किया जाना है । क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार है:-

स्थान	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	प्रस्तावित भूमि उपयोग	सीमाएं
जोन के-II (द्वारका)	2.26 हैक्ट.	"परिवहन उपयोग"	आवासीय उपयोग (समीपवर्ती स्तर की पीएसपी सुविधाएं	उत्तर: पूर्वी सागरपुर पूर्व: रिवाड़ी रेलवे लाइन दक्षिण: पश्चिम सागरपुर/इन्द्रा पार्क पश्चिम: पंखा रोड और पालम/राजीव पार्क कालोनी कालोनी को जोड़ने वाली सड़क

[फा. सं. के-13011/2/2012-डीडीआईबी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2012

S.O. 1638(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.1745(E) dated 27th July, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice; And

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; And

3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021; And

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 2.26 ha. in built up area of Zone K-II(Dwarka) from 'Transportation Use' to 'Residential Use' (neighbourhood level PSP Facilities). The boundaries are as follows:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Zone K-II (Dwarka)	2.26 ha	'Transportation Use'	'Residential Use' (neighbourhood level PSP Facilities)	**North:** East Sagarpur **East:** Rewari Railway Line **South:** West Sagarpur/Indra Park **West:** Road connecting Pankha Road & Palam/ Rajeev Park Colony.

[F. No. K-13011/2/2012-DDIB]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.